




OFFICE OF THE PRINCIPAL SHASKIYA MAHAVIDYALAYA, RAU,
DIST. INDORE - 453331, MADHYA PRADESH


Phone No. : 0731-2857070, 2857066

E-Mail Add.:- principalrau@yahoo.com; hegcraind@mp.gov.in

3.4.2 List of all the functional MoUs showing:

S.N.	Name of Organization with MOU	Area of understanding	Date & year of MOU	Period/ duration of MOU	Extend of financial commitment	Faculty/dept. in charge	List of activities conducted under the MOU	Date & year of Activity under that
1	Paramarsh Scheme by UGC under Hub-Spoke Model for NAAC accreditation	1.Establishes Mentor-Mentee relationship between Hun-Mrnyot college and Spoke Mentee college 2.Create an ecosystem to promote quality higher education through collaboration and co-creation	9/25/2019	1 YEAR	Madhya Pradesh Government	Dr. ANIL singh (Nodal Officer NAAC Co-ordinator) Dr. N. P. Rajpoot(IQAS Incharge)	"PARAMARSH" Scheme by UGC under Hub-Spoke Model for NAAC Accreditation	9/25/2019
2	Madhya Pradesh Bhoj Open University	1. Providing education to the doorsteps to the learner for easy accessibility. 2. Freedom to the learners to study at his/her own pace and convenience.	8/13/2019	CONT...	MP Bhoj University & DAVV, Indore	Prof. ANIL KUMAR JAIN(Department : Commerce)	Amission, Teaching, Examination	8/13/2019
3	Azure Power Rooftop Five Pvt. Ltd.	1.Solar power is the conversion of energy from sunlight into electricity, either directly using photovoltaics (PV), indirectly using concentrated solar power, or a combination. 2. Concentrated solar power systems use lenses or mirrors and solar tracking systems to focus a large area of sunlight into a small beam. Photovoltaic cells convert light into an electric current using the photovoltaic effect.	10/5/2018	CONT...	Stamp Department Madhya Pradesh	Dr. DILIP KUMAR BILLORE (Department : Botany)	Support for Power supply in college campus	10/5/2018


IQAS Coordinator
DR. N.P. RAJPOOT
Govt. College Rau, Indore
CO-ORDINATOR
IQAS
Govt. College, Rau (M.P.)


Principal
Dr. SUDHA SURESH SILAWAT
Govt. College Rau, Indore
ATTESTED
PRINCIPAL
Govt. College, Rau, Indore

MOU

PRESTIGE INSTITUTE OF
MANAGEMENT AND RESEARCH

INDORE

MENTER-MENTEE RELATIONSHIP


B/W

Hub-Mentor College & Spoke Mentee
College

(under "Paramarsh Scheme")

Govt. College, Rau

ATTESTED



Principal

Dr. Sudha Suresh Silawat
Govt. College, Rau (M.P.)



Memorandum of Understanding BC 492820

Mentor ("A" grade with 3.26 or more CGPA in NAAC-both Govt. and private Colleges) **Prestige Institute of Management and Research**

And

S.No. 2900/18
Date 05/11/18

Mentee (NAAC aspirant college) **Govt. College Rau Indore**

For "Paramarsh" Scheme by UGC under Hub-Spoke Model for NAAC accreditation


This Memorandum of Understanding (MOU) establishes Mentor-Mentee relationship between Hub-Mentor college and Spoke Mentee college.

1. Mission

UGC is striving to fulfil the objectives of quality assurance and improvement, for which it has introduced "Paramarsh" scheme.

The scheme intends to promote well-performing accredited institutions to mentor the NAAC accreditation aspiring institutions to upgrade their academic performance and get accredited.

Cont....2

Sworn Before Me

PRADEEP HOKLAP
NOTARY
INDORE (M.P.)



ATTESTED



Principal

Dr. Sudha Suresh Silawat
Govt. College, Rau (M.P.)

This scheme is a guideline for mentoring NAAC accreditation aspirant institutions to promote Quality Assurance in Higher Education.

Goals

- Overall quality assurance and improvement in Higher Education in Madhya Pradesh
- Overhauling of entire machinery of colleges for delivery of quality education
- Empower colleges for governance and academic reforms

Objectives

- Develop a holistic approach towards imparting of higher education
- In-depth assessment of institutions to identify their strengths and gaps for improvement
- Create an ecosystem to promote quality higher education through collaboration and co-creation
- Sustainability of quality through opportunities for equal growth and conservation

Responsibilities of Partners

Hub-Mentor College agree to the following tasks for this MOU:

Director IQAC of Hub-mentor will be responsible for the division level initiatives under PARAMARSH. He/she will be the contact person for coordination with UGC and State level NAAC Cell.

Accreditation ambassador will be a representative from Hub- Mentor who will act as a sub-facilitator and will coordinate with the sub-mentors and Spoke-mentee college for facilitation of NAAC accreditation.

Hub-Mentor and handhold the mentee college through the NAAC accreditation process

Cont.....3



Sworn Before Me

PRADEEP HOLKAR
NOTARY
INDORE (M.P.)

ATTESTED

Principal
Dr. Sudha Suresh Silawat
Govt. College, Rau (M.P.)

- Provide advisory support for query solving during NAAC by organizing consultation workshops
- Capacity building and trainings for NAAC to various stakeholders at the division level
- Organize workshops for guiding Mentee colleges in preparation of IQA, SSR, DVV and student satisfaction survey.
- Identify NAAC Best Practices and support in institutionalizing through detailed information on documents to be prepared and maintained in the division level colleges
- A report will be submitted by the Hub-Mentor to the state level NAAC cell which will decide upon any additional support required for the specific Spoke - Mentee.
- Hub-mentor will report to state level NAAC cell on the status of submission of IQA & SSR for its spoke-mentees.
- Conduct Spoke -mentee level workshop for sensitization of various stakeholders
- Accreditation Ambassador from the Hub-Mentor will visit the Spoke-Mentee for identifying gaps and suggesting ways to fill the gaps.
- Accreditation Ambassador will also submit an action plan for NAAC accreditation of Spoke-Mentee to the state level NAAC cell
- Accreditation Ambassador will support and handhold Spoke-Mentee for preparation of IQA and SSR
- Accreditation Ambassador will review IQA and SSR before submission to ensure clearance to higher level of the accreditation process
- Accreditation Ambassador will visit Spoke-Mentees to inspect and suggest preparation for peer team visit
- Accreditation Ambassador will ensure best-grades for the Spoke-mentees



Spoke-Mentee College agree to the following tasks for this MOU:




NAAC Coordinator in Mentee college

Spoke-Mentee will create an IQAC and a coordinator of IQAC will be appointed. This Coordinator will responsible for the NAAC accreditation activities at the respective Spoke-Mentee. He/she will be the point of contact with Hub- Mentor college and State Level NAAC cell. The NAAC coordinator will be supported by a team at the Spoke - Mentee college level.

Cont.....4

Sworn Before Me


 PRADEEP HOLKAR
 NOTARY
 INDORE (M.P.)



ATTESTED


 Principal


Dr. Sudha Suresh Sifawat
 Govt. College, Rau (M.P.)

- IQAC will be the team responsible for NAAC Accreditation and quality assurance & improvement initiatives at the Spoke-Mentee level.
- Establish process and documentation related to NAAC in their respective colleges
- Preparation and timely submission AQAR (Annual Quality Assurance Report).
- Prepare for NAAC accreditation through methodical documentation.
- Support the Hub-Mentor to organize awareness workshops on NAAC accreditation with faculty and students.
- Submit IQA and SSR on time for their college.
- Coordinate with Hub-Mentor and State level NAAC cell to update on the status of the college in the NAAC accreditation process.
- Create college level student NAAC committee.
- The Spoke-Mentee team will be headed by the IQAC Coordinator and supported by a team identified amongst the faculty members of respective colleges.
- Coordinator will ensure regular meetings of IQAC with teaching departments of their respective HELs.
- IQAC will act as a custodian of quality for the institution
- Spoke-mentee will ensure best NAAC grades under the mentorship of the Hub-Mentee
- Spoke- Mentee will institutionalise best practices in quality assurance and improvement on a sustainable mode

III. Terms of Understanding



MOU is for a period of 1 year from the.....effective date of this agreement and may be extended upon written mutual agreement. It shall be reviewed at least quarterly to ensure that it is fulfilling its purpose and to make any necessary revisions. The MoU is being signed under the PARAMARSH scheme of UGC to create a Mentor-mentee relationship under the Hub-Spoke model.



It will not include any direct financial support to the Spoke-mentee. The spoke-mentees will be supported in terms of guidance and handholding for achieving the goal of quality assurance and improvement through NAAC accreditation. The Hub-mentor will utilise the funds from UGC under "PARAMARSH" scheme to achieve the above mentioned objectives to its best possible extent.

Cont.....5

Sworn Before Me

P
 PRADEEP HOLKAR
 NOTARY
 INDORE (M.P.)

Silawat

ATTESTED

Silawat
Principal

Dr. Sudha Suresh Silawat
 Govt. College, Rau (M.P.)

Authorization

The signing of this MOU is a formal undertaking. It implies that the signatories will strive to reach, to the best of their ability, the objectives stated in the MOU. On behalf of the organization I represent, I wish to sign this MOU and contribute to its further development.

Hub-Mentor College

Date 25-09-2019
Place Indore

Signature

Dr. Yogeshwari Phatak
Name of Head of the Institution
Prestige Institute of Management and Research
Name of the Institution

Spoke-mentee College

Date 25-09-2019
Place Indore

Signature

Dr. Sudha Suresh Silawat
Name of Head of the Institution
Govt. College Rau, Indore
Name of the Institution

IDENTIFY BY MY



Sworn Before Me

PRADEEP HOLKAR
NOTARY
INDORE (M.P.)

Handwritten signature

ATTESTED

Handwritten signature in green ink

Principal

Dr. Sudha Suresh Silawat
Govt. College, Rau (M.P.)

MOU Activity

PRESTIGE
INSTITUTE OF MANAGE
MENT AND RESEARCH
INDORE

दिनांक - 13/09/2021

आज दिनांक 13/09/2021 को शासकीय महाविद्यालय राऊ डी
कम्प्यूटर लैब में मॉडर (PIAR Indore) महाविद्यालय के
द्वारा आज दोपहर 2:30 बजे से NAAC Accreditation
Process पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया।
जिसमें महाविद्यालय के Chairman in charge, staff
members एवं उनके सदस्य सम्मिलित हुए।

IQAS - Coordinator
[Signature]
13.9.2021

क्र.	नाम	हस्ताक्षर
1.	डॉ. मोहनसिंह डाबर	[Signature]
2.	जे. ए. एम. राव	[Signature]
3.	हेमलता शर्मा	[Signature]
4.	श्रीमती सुरेशा कडित	[Signature]
5.	सुब्रिथ शुक्ला	[Signature]
6.	डॉ. के. आर. कात्रेड	[Signature]
7.	Dr. Anil Singh	[Signature]
8.	Poojanka Bhanuwar	[Signature]
9.	Dr. Mahendras Alare	[Signature]
10.	Pooja Verma	[Signature]
11.	Dr. Dr. Billone	[Signature]
12.	AIC Jain	[Signature]
13.	Mayank Sharma	[Signature]
14.	Manish Kataria	[Signature]
15.	DR. Ashish Patel	[Signature]

Attested by

[Signature]
शासकीय महाविद्यालय
राऊ - इन्दौर (म.प्र.)



Indore, Madhya Pradesh, India

194, BRIJ VIHAR COLONY, Rau, Indore, Madhya Pradesh 452002, India

Lat 22.640755°

Long 75.803762°

13/09/21 02:51 PM



Indore, Madhya Pradesh, India

194, BRIJ VIHAR COLONY, Rau, Indore, Madhya Pradesh 452002, India

Lat 22.640759°

Long 75.80377°

13/09/21 02:50 PM



Indore, Madhya Pradesh, India

194, BRIJ VIHAR COLONY, Rau, Indore, Madhya Pradesh 452002, India

Lat 22.64075°

Long 75.803765°

13/09/21 02:50 PM



Indore, Madhya Pradesh, India

194, BRIJ VIHAR COLONY, Rau, Indore, Madhya Pradesh 452002, India

Lat 22.640734°

Long 75.803772°

13/09/21 02:45 PM

दिनांक 23/09/21

आज दिनांक 23/09/2021 को शासकीय महाविद्यालय राजू की कम्प्यूटर लेब में आयोजित मध्य प्रदेश के अंतर्गत नैफ के संबंध में Dr. Jayant Sonwalkar (कुलपति म.प्र. भोजमुक्त वि. विद्या कोवाल) और Dr. W. Vazhan Arasu (प्राचार्य अंत अलॉयसिस डॉल्फिन जबलपुर) द्वारा peer team visit के लिए कुंसी तैयारी की जानी है एवं peer team के सदस्य किन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। इसे विषय विषय पर online व्याख्यान हुआ जिसने सभी महाविद्यालय के सभी सदस्य शामिल हुए।

IOAS प्रमारी
NAAC प्रमारी

नाम

- 1) Dr. M. S. Dikar
- 2) Dr. D. CRATH
- 3) Hemlata Thakur
- 4) Suresh Pandit
- 5) Dr. Ashish Patel
- 6) Dr. M. Alone
- 7) Dr. K. R. Kamude
- 8) Mayank Sharma
- 9) Manish Mahant
- 10) Prof. Anurag Singh Rao

हस्ताक्षर

~~Signature~~

~~Signature~~

~~Signature~~

~~Signature~~

~~Signature~~

~~Signature~~

~~Signature~~

~~Signature~~

Attested by

आसकी महाविद्यालय
राजू - इन्दौर (म.प्र.)



Indore, Madhya Pradesh, India

194, BRIJ VIHAR COLONY, Rau, Indore, Madhya Pradesh 452002, India


Lat 22.64075°

Long 75.803765°

23/09/21 03:17 PM

4:26 PM | 142KB/s | WiFi | 69%

You're joined as an attendee.

 <p>Dr. Anish Chandra Pandey</p>	 <p>Dr. Jayant Sonwalkar VC MPBOU...</p>		
 <p>Mahesh Shukla TRS College (...)</p>	 <p>Dr. Usha K Nair (Guest)</p>		
 <p>Hemlata Thakur</p>	 <p>hamidia college bhopal (Guest)</p>		
 <p>Dr. Kalpana Jha</p>	 <p>Sanjay Swar...</p>	 <p>Govt College ...</p>	

3:47 PM | 18.0KB/s

VoWiFi 74



Dr. Jayant Sonwalkar VC MPBOU...



Dr. Kalpana Jha



Dr. Usha K Nair (Guest)



Hemlata Thakur



Pramila Wadhwa



hamidia college bhopal (Guest)



Govt College ...




Dr. Anish Cha...



Raghvendra ...





Indore, Madhya Pradesh, India

194, BRIJ VIHAR COLONY, Rau, Indore, Madhya Pradesh 452002, India

Lat 22.640756°

Long 75.803762°

23/09/21 03:17 PM

MOU
MP Bhoj
University
13.08.2019

ATTESTED



Principal

Dr. Sudha Suresh Silawat
Govt. College, Rau (M.P.)



मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY
Raja Bhoj Marg, Bhopal -462016

क्रमांक ३३१/वि.सहा./मप्रभोमुवि/२०१९

भोपाल, दिनांक १०/०६/२०१९

प्रति,

प्राचार्य
मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय
समस्ता अध्ययन केन्द्र

विषय- प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश।

महोदय,

सर्वप्रथम मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र बनने के लिए आपका अभिनंदन, अध्ययन केन्द्र को संचालन के लिए निम्न दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

1. प्राचार्य कार्य सम्पादन के लिए महाविद्यालय के किसी एक प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को समन्वयक तथा एक लिपिक को अनुबंध की शर्तों की कथिबद्धता 6 के अनुसार नियुक्त करेंगे।
2. संलग्न परिशिष्ट 01 के अनुसार मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का साईन बोर्ड महाविद्यालय के बाहर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
3. विश्वविद्यालय का प्रवेश विज्ञापन (संलग्न) जारी किया जा चुका है। प्रवेश की प्रक्रिया एम.पी.आनलाईन के माध्यम से की जायेगी।
4. विद्यार्थी सर्वप्रथम अपना पंजीयन एम.पी.आनलाईन में करवायेगा रनातक बीए/बीएससी/बीकाम पाठ्यक्रम के लिए पंजीयन शुल्क 15000 तथा शेष रनातक रनातकोत्तर डिप्लोमा, पी.जी.डिप्लोमा व सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के लिए पंजीयन शुल्क 3000 रु है।
5. पंजीयन कराने के उपरांत विद्यार्थी अपना प्रवेश फार्म एम.पी.आनलाईन के माध्यम से भरेगा तथा प्रवेश शुल्क एम.पी.आनलाईन के पोर्टल <https://mpbou.mponline.gov.in/portal> या विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bhojopenuniversity.com या एम.पी.आनलाईन के क्वोरक के माध्यम से जमा करेगा।
6. एम.पी.आनलाईन से प्राप्त प्रवेश फार्म पंजीयन प्रपत्र अपनी प्रवेश योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र (10+2 की अंकसूची) एवं आधार कार्ड या शासकीय आई-बी जैसे - पेनकार्ड, आईडिंग लाईसेंस, रोटार आई-बी, पासपोर्ट सलित सभी प्रमाण पत्रों के तीन सेट लेकर विद्यार्थी महाविद्यालय में आवेगा। महाविद्यालय प्रवेश संबंधी सभी समस्त प्रमाण पत्रों का मूल अंकसूची एवं अन्य प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रवेश फार्म का संस्थापन करेगे साथ ही प्रवेश की प्राकता भी सुनिश्चित करेंगे।
7. विद्यार्थी द्वारा जमा किये गये तीनों सेट में से एक सेट प्रवेश की अंतिम तिथी के उपरांत अपने पास रखते हुये शेष दो सेट संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
8. प्रवेशित विद्यार्थियों की पाठ्यक्रमवार एवं विषयवार सूची तैयार कर एस.एल.एम की मांग संख्या क्षेत्रीय केन्द्र को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

ATTESTED

Principal

Dr. Sudha Suresh Silawat
Govt. College, Rau (M.P.)

9. विश्वविद्यालय आपकी मांग अनुसार सत्रीय उत्तरपुस्तिकायें तथा एस.एल.एम महाविद्यालय को उपलब्ध करावेगा।
10. विश्वविद्यालय से प्राप्त एस.एल.एम एवं सत्रीय उत्तरपुस्तिकाओं की स्टाक पंजीयन अनिवार्यतः महाविद्यालय में किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
11. विश्वविद्यालय से प्राप्त एस.एल.एम व सत्रीय उत्तरपुस्तिकाओं का वितरण विद्यार्थियों को किया जाना महाविद्यालय सुनिश्चित करेंगे।
12. प्रत्येक विषय का एक सत्रीय कार्य होता है। अतः विद्यार्थी के प्रवेशित पाठ्यक्रम में जितने विषय होंगे उतनी सत्रीय उत्तरपुस्तिकायें छात्र को वितरित की जावेगी। जैसे की बीए/बीएससी/बीफाम में प्रत्येक विद्यार्थी के तीन विषय होते हैं। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को केवल तीन सत्रीय उत्तरपुस्तिकायें प्रदान की जायेंगी। विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाईड www.bhojivirtualuniversity.com से विद्यार्थी सहायता मेनु में जाकर अपने पाठ्यक्रम का सत्रीय प्रश्नपत्र डाउनलोड कर प्रिन्ट प्राप्त करेगा एवं सत्रीय उत्तरपुस्तिकाओं में हल कर केन्द्र में जमा करेगा।
13. प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय की 13-13 दिनों की रीढ़ात्मिक सम्पर्क कक्षाये आयोजित की जायेंगी। सम्पर्क कक्षाओं के आयोजन के पूर्व सम्पर्क कक्षाये लेने वाले प्राध्यापकों के मागों का अनुमोदन क्षेत्रीय केन्द्र के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय से लिया जाना आवश्यक है। तदुपरांत ही सम्पर्क कक्षाओं के मानदय का मुतातन विधिवत रूप से किया जा सकेगा।
14. जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य होते हैं। उन विषयों की 13-13 दिनों की प्रायोगिक सम्पर्क कक्षाये भी लगाई जायेंगी।
15. सम्पर्क कक्षाओं के आयोजन के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर अपनी सत्रीय कार्य सत्रीय उत्तरपुस्तिकायें में प्रश्नों के उत्तर अंकित कर महाविद्यालय में आकर जमा करा कर पावती प्राप्त करेगा।
16. सत्रीय कार्य की अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त सत्रीय उत्तरपुस्तिकाओं को पाठ्यक्रमवार एवं विषयवार सील्ड बंडल सूची सहित तैयार कर क्षेत्रीय निदेशक के निर्देशानुसार क्षेत्रीय केन्द्र में जमा कराई जायेंगी।
17. मई माह में स्नातक सत्रांत परीक्षा तथा जून माह में स्नातकोत्तर सत्रांत परीक्षाये सामान्यतः आयोजित होती है। इन परीक्षाओं के आयोजन से पूर्व जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य होते हैं उनको प्रायोगिक परीक्षा महाविद्यालयीन शिक्षकों या नजदीकी दूसरे महाविद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा आयोजित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
18. अध्ययन केन्द्रों को सत्रांत परीक्षाओं हेतु मुख्य उत्तरपुस्तिकायें एवं गोपनीय सामग्री क्षेत्रीय केन्द्र के माध्यम से विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की जायेंगी।
19. प्राप्त मुख्य उत्तरपुस्तिकाओं का स्टाक पंजी विधिवत रूप से महाविद्यालय के द्वारा किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
20. प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाध्य एवं आंतरिक परीक्षाओं की सूची महाविद्यालय तैयार कर क्षेत्रीय केन्द्र के माध्यम से माननीय कुलपति जी से उसका अनुमोदन प्राप्त करेगे।
21. जिन पाठ्यक्रमों में प्रोजेक्ट कार्य होते हैं उन पाठ्यक्रमों प्रवेशित विद्यार्थियों से प्रोजेक्ट सत्रांत परीक्षा के पूर्व जमा कराकर सत्रांत परीक्षा के उपरांत प्रोजेक्ट Viva (मौखिकी) आयोजित किया जाना महाविद्यालय सुनिश्चित करेंगे।
22. प्रत्येक विद्यार्थी अपना प्रोजेक्ट कार्य उस विषय के किसी भी महाविद्यालय के प्राध्यापक के मार्गदर्शन में तैयार करेगा। प्रोजेक्ट में उस मार्गदर्शक प्राध्यापक का प्रमाणपत्र में मुद्रा सहित हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
23. प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रोजेक्ट Viva (मौखिकी) के लिए पर्न / प्रतिपर्न (Foil/C.Foil) क्षेत्रीय केन्द्र के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रदान करेगा।

ATTESTED


Principal

Dr. Sudha Suresh Silawat
Govt. College, Rau (M.P.)

24. प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रोजेक्ट Viva (मौखिकी) पूर्ण होने के उपरान्त पर्ण/प्रतिपर्ण (Foil/C.Foil) प्रायोगिक उत्तरपुस्तिकाएँ एवं मूल्यांकित प्रोजेक्ट के साथ अलग-अलग शील्ड लिफाफे में क्षेत्रीय केन्द्र में जमा करायेगे।
 25. सत्रांत परीक्षाएँ पारदर्शी एवं मध्यमकृत वातावरण में निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित किया जाना महाविद्यालय सुनिश्चित करेंगे।
 26. संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा प्रदाय प्रवेशपत्र का वितरण उन विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा जिनको प्रदेश पत्र एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सका है।
 27. विश्वविद्यालय द्वारा तथा संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा प्रदाय राशि का विधिवत् लेखा-जोखा रखना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा।
 28. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विश्वविद्यालय तथा संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र से प्राप्त राशि का अंकीक्षण करण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का दायित्व महाविद्यालय का होगा।
 29. मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आवश्यक आदेश/निर्देश का पालन करना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा।
 30. मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय या संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा गठित दल को अध्ययन केन्द्र द्वारा संबालित समस्त गतिविधियों सहित अभिलेखों एवं परीक्षा आदि के निरीक्षण में पूर्ण सहयोग करना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा।
 31. संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा परीक्षा परीणाम घोषित होने के बाद प्रेषित की गई अंकपुस्तिकाएँ का विधिवत् रिकॉर्ड रखते हुये संबंधित विद्यार्थियों को प्रदाय करने का दायित्व महाविद्यालय का होगा।
- समस्त दैयानिक नियमावली मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 के अन्तर्गत निर्मित परिचिनियम 11.11 (अ) एवं अध्यादेश 60.61 व अन्य अध्यादेशों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।


कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 10/8/2019

क्रमांक 3222/मप्रनोमुवि/2019
प्रतिस्ति-:

1. मा.कुलपति जी के निज सचिव, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ।
2. निदेशक प्रवेश एवं मूल्यांकन, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निदेशक, विद्यार्थी सहायता, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निदेशक आई.टी, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निदेशक, मुद्रण एवं वितरण, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त क्षेत्रीय निदेशक, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।


कुलसचिव

ATTESTED


Principal

Dr. Sudha Suresh Silawat
Govt. College, Rau (M.P.)



M.P. BHOJ (OPENI) UNIVERSITY, BHOPAL
Contact Number of Officials

Name	Telephone No.	Intercom No.	Mobile No.
Prof. Jayant Sonwalkar, Hon'ble VC	2424660	2001	9425066985
VC Secretariat	2424660	2004	-
Dr. J.S. Tripathi Registrar	2492093 ✓	2057 ✓	9425724380 ✓
Shri Ram Bau Jagekar, P.A. to Registrar	2492093	2054	9425346917
Shri Arun Singh Chouhan Dept. Registrar	-	-	8839109134
Shri R.S. Mujalda, FO	2493155	2009	9425029119
Dr. A.K. Tripathi, Director (A&E)	2424670 2492107	2114	9425330804
Dr. L.P. Jhariya, Director (SS)	-	-	9425875442
Dr. Vibha Mishra Director (DME)	-	-	9425879361
Dr. Neelam Wasnik Director (Printing)	-	-	9039123064
Shri Abhay Kumar Gupta, Assistant Registrar	-	-	7869589857
Dr. A.Z. Khan (Placement Officer)	-	-	9826264662
Dr. Shailendra Kaushik, Assistant Director	2492273	-	9340013450
Dr. Hemlata Dinkar (DME)	2492096	2096	9752914954
Dr. Kanchan Jigyasi (DME)	-	-	9827448891
Mr. Prashant Solanki (Programmer)	-	2135	9424454313

ATTESTED


Principal

Dr. Sudha Suresh Silawat
Govt. College, Rau (M.P.)



मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

MPBOU

राजा भोज मार्ग चूनाभट्टी, भोपाल, (म. प्र.)

महाविद्यालय से अनुबंध किये जाने हेतु पंजीयन प्रपत्र

कार्यक्रम दिनांक – 13.8.2019

1.	महाविद्यालय का नाम	शासकीय महाविद्यालय राऊ, इन्दौर
2.	महाविद्यालय का पता	गुरुकुल परिसर, रंगवासा रोड़, इन्दौर (म.प्र.)
3.	प्राचार्य का नाम	डॉ. सुधा सुरेश सिलावट
	मोबाईल नं.	94251-91183
4.	प्रभारी अधिकारी का नाम	प्रो.अनिल जैन (सहा. प्राध्यापक)
	मोबाईल नं.	94066-47672
5.	महाविद्यालय का संपर्क सूत्र	0731-2857070
	फोन नं.	0731-2857066
	फैक्स नं.	—
	ईमेल	principalrau@yahoo.com hegcrauind@mp.gov.in
6.	महाविद्यालय का खाता विवरण	भारतीय स्टेट बैंक
	बैंक का नाम	शाखा- अवनी प्लाजा राऊ
	खाता क्रमांक	34181739008
	आई.एफ.सी. कोड	SBIN0012162


हस्ताक्षर पक्षविमुक्त सहित
राऊ - इन्दौर (म. प्र.)

"अनुबंधपत्र"

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 की धारा (viii) (ix) के प्रावधान के अन्तर्गत परिनियम 11 के परिपालन में यह अनुबंध पत्र मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड, भोपाल द्वारा अपने क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर (०२) के अन्तर्गत नवीन अध्ययन केन्द्र प्रारंभ करने के लिये दोनों पक्षों के मध्य किया जा रहा है।
प्रथम पक्ष: मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

द्वितीय पक्ष: शासकीय (परिशिष्ट 01 के अनुसार)/अशासकीय महाविद्यालय (प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत)

अनुबंध की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. संस्था के प्राचार्य अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। प्राचार्य के त्यागपत्र देने या उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति पदस्थ हो जाने पर नये प्राचार्य अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। पूर्व प्राचार्य को अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की पात्रता तथा केन्द्राध्यक्ष के रूप में मान्य करने हेतु मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। केन्द्राध्यक्ष अपने स्तर पर अपने सहयोग के लिये एक समन्वयक की नियुक्ति कर सकता है। जो महाविद्यालय में पदस्थ कोई वरिष्ठ प्राध्यापक स्तर का हो।
2. अध्ययन केन्द्र के संचालन के लिये, अध्ययन केन्द्र, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय की ओर निम्नलिखित उन सभी कार्यों को संपादित करेगा जो मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर आवश्यकता एवं परिस्थिति वश संसूचित किये जायेंगे।
 - (1) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया कर प्रवेश फार्म की प्रथम एवं द्वितीय प्रति सम्पूर्ण अभिलेखों सहित क्रमशः क्षेत्रीय केन्द्र और मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के मुख्यालय में निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुये प्रवेश फार्म की तृतीय प्रति को अपने अध्ययन केन्द्र में सम्पूर्ण अभिलेख सहित सुरक्षित रखेंगे।
 - (2) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय से प्राप्त अध्ययन सामग्री को विद्यार्थियों में वितरित कर यह सुनिश्चित करना की सभी प्रविष्ट विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो गई। यदि नहीं हुई हो तो शीघ्र प्राप्त करने के लिये प्रयास करने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा, ताकि विद्यार्थियों को अध्ययन में किसी प्रकार का अवरोध न हो।
 - (3) शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक विषय के 13 सैद्धांतिक कालखण्डों की तथा जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य हो उनकी भी 13 कालखण्डों की प्रायोगिक सम्पर्क कक्षाएँ विश्वविद्यालय के अध्यादेश 60/61 के अनुसार लगाने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा। साथ ही इसकी सूचना विश्वविद्यालय सहित संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र व विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - (4) प्रवेशित विद्यार्थियों से सत्रीय उत्तरपुस्तिकाएँ निर्धारित समय सीमा में जमा करा कर क्षेत्रीय केन्द्र को भिजवाने का दायित्व भी अध्ययन केन्द्र का होगा।

(5) प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक सम्पर्क कक्षाओं तथा संत्रात परीक्षा के दौरान पूर्ण स्वच्छ, हवा प्रकाश, जल, शौचालय (छात्र-छात्रायें का अलग अलग) एवं अन्य मूलभूत सुविधाएँ जो अध्ययन केन्द्र के लिये आवश्यक हो तो उपलब्ध कराने का दायित्व भी अध्ययन केन्द्र का होगा।

(6) अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष एवं मुख्य स्टाफ सदस्य जैसे समन्वयक, शिक्षकों, एक लिपिक आदि सभी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय राशि का भुगतान विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जायेगा।

(7) अध्ययन केन्द्र विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में प्राप्त नहीं करेगा।

(8) अध्ययन केन्द्र के लिए आंशिक अधोसंरचना फर्नीचर, कम्प्यूटर इत्यादि में जो व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति प्रथम पक्ष: विश्वविद्यालय द्वारा की जावेगी।

(9) महाविद्यालय में कुल पंजीकृत विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क का प्रोराटा के आधार पर 80 प्रतिशत विश्वविद्यालय में तथा 20 प्रतिशत महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अकाउण्ट में स्थानांतरित की जायेगी इस राशि में सम्पर्क कक्षाएँ तथा परीक्षा संचालन शामिल है। जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अध्ययन केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

(10) जिन महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र स्थानांतरित/स्थापित किये जा रहे हैं उनकी सूची परिशिष्ट 01 में संलग्न है।

(11) किन्तु यह भी कि किसी महाविद्यालय केन्द्र में विद्यार्थियों का प्रवेश कम संख्या में होता है। ऐसी स्थिति में सम्पर्क कक्षाओं एवं परीक्षा संचालन के व्यय की राशि तथा शुल्क अशंदान की अन्तर राशि की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय के द्वारा की जावेगी।

(12) अध्ययन केन्द्र के अस्तित्व एवं निरंतरता को बनाये रखने के लिये विद्यार्थियों के लिये उचित अध्ययन कक्षाओं, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं को प्रदान करने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा।

(13) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा जो मुक्त शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु समय-समय पर आवश्यक आदेश/निर्देश/शर्तें जारी किये जाएँ, उनका पालन करना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा।

(14) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा गठित दल को अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों सहित अभिलेखों एवं परीक्षा आदि के निरीक्षण में सहयोग करना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा।

निम्नलिखित परिस्थितियों में विश्वविद्यालय को अध्ययन केन्द्र की मान्यता निरस्त करने का अधिकार रहेगा:-

1. अध्ययन केन्द्र मान्यता प्रावधानों के अनुरूप संचालित नहीं किया जा रहा हो।
2. अध्ययन केन्द्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता या असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने पर।

3. अध्ययन केन्द्र द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेशित विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई ऐसी राशि ली जा रही हो जो अनुबंध की शर्तों में विहित प्रावधानों के विपरीत हो।
4. विश्वविद्यालय के नियमानुसार सम्पर्क कक्षाओं का संचालन नहीं किया गया तो मान्यता निरस्त।
5. सत्रीय कार्य तथा संत्रात परीक्षाओं का संचालन सुचारु रूप से नहीं किया जा रहा हो।
6. विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत विद्यार्थियों के लिये प्रदत्त अध्ययन सामग्री का नियमानुसार विद्यार्थियों में वितरण नहीं किया जा रहा हो।
7. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा हो।
8. अध्ययन केन्द्र द्वारा लेखा का संधारण विश्वविद्यालय नियमानुसार नहीं किया जा रहा हो।
9. ऐसी निजी संस्था जो समिति द्वारा संचालित है द्वारा अपनी मूल समिति को बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के अन्य समिति में विलय कर देती है।
10. बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के अध्ययन केन्द्र का स्थान परिवर्तन किये जाने पर।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त भी विश्वविद्यालय यदि किसी बिन्दु पर असंतुष्ट है तो मान्यता रद्द कर सकता है किन्तु ऐसे किये जाने के पूर्व संबंधित संस्था को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

3. इस अनुबंध की तीन मूल प्रतियाँ हस्ताक्षर की जा रही है। जिसकी एक प्रति कुलसचिव, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड, भोपाल को दूसरी प्रति द्वितीय पक्षकार शासकीय आर्थिक मामलों विज्ञान कक्षा राऊ, एवं तृतीय प्रति क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर (02) के अधिपत्य में संधारित की जा रही है जो कि समयानुसार कार्यवाही में उपयोग की जा सकेगी।
4. इस अनुबंध के प्रत्येक पृष्ठों पर दोनो पक्षकारो द्वारा हस्ताक्षर किये जा रहे है एवं किसी पृष्ठ में कोई काट-छाट नहीं है।
5. अध्ययन केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष/उपकेन्द्राध्यक्ष व अन्य नियुक्तियों को दिये जाने वाले मानदेय एवं अन्य संबंधित विषयों के निर्णय हेतु परीनियम 11 में दर्शायी गयी समिति अधिकृत होगी।

यह अनुबंध आज दिनांक 13.8.19 को दोनो पक्षो की सहमति में पूर्ण होशोहवास में एवं गवाहो की उपस्थिति में किया जा रहा है एवं उक्त शर्तों को दोनो पक्षो द्वारा मान्य किया जा रहा है।

कुलसचिव
मध्यप्रदेशभोज (मुक्त) विश्वविद्यालय,
भोपाल



शासकीय विश्वविद्यालय
राऊ - इन्दौर (म. प्र.)

गवाह

1.....

2.....

गवाह


Dr. N.P. Raghupathi
2 
Hemlata Trilok

डॉ. हरिहर शरण त्रिपाठी
एम.एससी., पीएच.डी., एम.बी.ए.
कुलसचिव

Dr. H.S. Tripathi
M.Sc., Ph.D., MBA
Registrar



मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय
राजा भोज मार्ग (कोलार रोड), भोपाल - 462 016 (म.प्र.) भारत

Madhya Pradesh Bhoj (Open) University
Raja Bhoj Marg (Kolar Road), Bhopal- 462 016 (M.P.) INDIA

आमंत्रण

अनुबंध सम्पादन कार्यक्रम दिनांक 13 अगस्त, 2019 में आमंत्रण

महोदय,

म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के अध्ययन मन्दिर शासकीय महाविद्यालयों में स्थापित किये जाने हेतु शासकीय महाविद्यालय एवं म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के मध्य अनुबंध सम्पादन करने हेतु कार्यक्रम दिनांक 13 अगस्त, 2019 को दोपहर 12.00 बजे मिन्टो हाल, पुरानी विधानसभा, भोपाल में आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय श्री जीतू पटवारी जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन तथा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन व कुलपति, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में मध्याह्न भोज का आयोजन भी है।

उक्त कार्यक्रम में आप की उपस्थिति प्रार्थनीय है।


(डॉ. एच.एस. त्रिपाठी)
कुलसचिव

भोपाल,
दिनांक - 08/08/2019

प्रति,

.....
.....
.....

दूरभाष/ Phone : +91-755 2492093 फैक्स / Fax : 0755 2424640

ई मेल / e-mail : registraroffice.mpbou@gmail.com वेब साइट/website : www.bhojtuaiuniversity.com



मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय
राजा भोज मार्ग, (कोलार रोड) भोपाल-462016

"सूचना"

दिनांक - 08.08.19

कृपया अवगत होना चाहें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2017 के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा के निर्देशानुसार आपके महाविद्यालय में मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का अध्ययन केन्द्र खोलने हेतु अनुबंध आपको प्रेषित किया जा रहा है। अनुबंध पत्र तीन प्रतियों में तैयार कर एवं भरा हुआ पंजीयन फार्म सहित दिनांक 13.08.2019 को प्रातः 10:00 बजे 'मिन्टो हॉल, पुराना विधान सभा भवन, भोपाल में आपको अनिवार्यतः उपस्थित होना है। इस संबंध में उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक 824/1415/2019/38-3 दिनांक 07.08.2019 आपकी ओर प्रेषित है। आपसे अनुरोध है की आप अपने साथ प्राचार्य की मोहर अनिवार्यतः साथ लाये।

सूचनार्थ प्रेषित।

- संलग्न: 1. आदेश।
2. अनुबंध पत्र
3. विश्वविद्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्र के सम्पर्क सूत्र
4. महाविद्यालयों की सूची।
5. पंजीयन फार्म

H-C
10.A
R. Singh
10.A
08.08.19

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
//आदेश//



भोपाल, दिनांक 7 /08/2019

क्रमांक ४२५/1415/2019/38-3 : म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 अंतर्गत म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय की स्थापना उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरशिक्षा पद्धति के प्रारंभ और संवर्धन के लिये राज्य स्तर पर की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा उद्देश्य पूर्ति हेतु तीन स्तरों पर कार्य करते हुये 10 क्षेत्रीय केन्द्र और 01 उप केन्द्र स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय के परिनियम- 11 अनुसार 264 अध्ययन केन्द्र 10+2 के विद्यालयों में स्थापित है।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम- 2017 के पृष्ठ क्रमांक 20 अनुलग्नक IV के कंडिका 'क' के परिपालन में गठित समिति द्वारा शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययन केन्द्रों को स्थापित करने की अनुशंसा दिनांक 22.05.2019 को की गई है, जिसका अनुमोदन विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की 74वीं बैठक दिनांक 25.05.2019 के विषय क्रमांक-5 में किया गया है। 186 शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्थापित अध्ययन केन्द्रों की सूची (परिशिष्ट-1) पर संलग्न है।


3. म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय एवं नवीन अध्ययन केन्द्रों के मध्य निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध पत्र में मुख्य रूप से विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष, समन्वयक, शिक्षकों को निर्धारित मानदेय राशि का नियमानुसार भुगतान, अध्ययन केन्द्र के लिए आंशिक अधोसंरचना फर्नीचर, कंप्यूटर इत्यादि में व्यय प्रतिपूर्ति तथा पंजीकृत विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क का प्रोराटा के आधार पर 80 प्रतिशत विश्वविद्यालय में तथा 20 प्रतिशत महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अकाउंट में स्थानांतरित की जायेगी, अनुबंध पत्र शर्तों सहित (परिशिष्ट-2) पर संलग्न है।

H.C.
X-2
Dr. Singh
Dr. Jain
08-08-19

निरंतर...2..

4. राज्य शासन एतद द्वारा म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा- 5 (viii)(ix) के प्रावधान के अंतर्गत परिनियम-11 अनुसार 186 शासकीय/अशासकीय (Aided) महाविद्यालयों में नवीन अध्ययन केन्द्रों को स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(वीर सिंह भलावी)
अवर सचिव


म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 7 /08/2019

पृष्ठां.क्र. 825/1415/2019/38-3

प्रतिलिपि-

1. सचिव, मान. राज्यपाल महोदय की ओर सादर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
5. कुलपति, म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल।
6. कुलसचिव, म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल।
7. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, (समस्त) उच्च शिक्षा, म.प्र.।
8. प्राचार्य, (समस्त) संबंधित महाविद्यालय, म.प्र.।


अवर सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

21. शासकीय महाविद्यालय, पीथमपुर , धार
22. शासकीय महाविद्यालय, मण्डलेश्वर, खरगोन
23. शासकीय श्री नीलकण्ठेश्वर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा
24. शासकीय जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, नेपानगर
25. शासकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन
26. शासकीय महाविद्यालय भीकन गाँव, जिला खरगोन
27. शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, राऊ, जिला इन्दौर
28. शासकीय कन्या महाविद्यालय, धार

क्षेत्रीय केन्द्र ग्वालियर (कोड 03)


29. शासकीय महाविद्यालय, कैलारस, मुरैना
30. शासकीय महाविद्यालय, नरवर, शिवपुरी
31. शासकीय महाविद्यालय, कुम्भराज, गुना
32. शासकीय महाविद्यालय, खनियाधाना, शिवपुरी
33. शासकीय महाविद्यालय लहार, भिण्ड
34. शासकीय महाविद्यालय, जौरा, मुरैना
35. शासकीय माधव महाविद्यालय, ईसागढ, अशोकनगर
36. शासकीय नेहरू महाविद्यालय, सबलगढ, मुरैना
37. शासकीय महाविद्यालय, अटेर, भिण्ड
38. शासकीय महाविद्यालय, गोहद, भिण्ड
39. शासकीय महाविद्यालय करेरा, शिवपुरी
40. शासकीय महाविद्यालय मौ, भिण्ड
41. शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय, पिछौर, शिवपुरी
42. शासकीय श्रीमंत महाराजा माधवराव सिंधिया महाविद्यालय कोलारस, शिवपुरी
43. शासकीय एल.एस महाविद्यालय, पोहरी शिवपुरी
44. अम्बाह स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय अम्बाह, मुरैना
45. शासकीय गाँधी महाविद्यालय, बालाजी मीहोना भिण्ड
46. शासकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय, मुरैना

MOU

SOLAR POWER

Azure Power Rooftop Private Ltd

ATTESTED



Principal

Dr. Sudha Suresh Silawat
Govt. College, Silawat
(M.P.)



Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh




Certificate of Stamp Duty

Stamp Details	
E-Stamp Code	01010526092014001176
Govt. E-Stamp Amount	500
Govt. Stamp Duty (Rs.)	500
Jumped Duty (Rs.)	0
Exempted Amount (Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	24/06/2018 14:25:57
Service Provider or Issuer Details	VIKAS : SAHU/SPD/104/10920/100129
SP/SRO/DR/JO Details	A.M. ENTERPRISES, SHOP NO. 03, KUMARPURA, OLD VIDHAN SABHA, BHOPAL M.P. 462001, PH NO. 0755-4018034, MOB NO. 9992792113 00218 BHOPAL
Deed Details	
Deed Type	Agreement or Memorandum of an agreement
Deed Instrument	If not otherwise provided for, free bonded copies.
Purpose	Agreement or Memorandum of an agreement.
First Party Details	
Organization Name	AZURE POWER ROOFTOP FIVE PRIVATE LIMITED
Address	1st Floor, Anar 301, 304 and 307, WorldMark 3, Anconity, New Delhi, 110077 India, BHOPAL, Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1
Second Party Details	
Organization Name	GOVT. ARTS AND COMMERCE COLLEGE
Address	RAJ, INDIORA, Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

अंकित मूल्य ₹ 500/-
R 05/11/2018

Digitally signed by
विकास साहू
SPD - भोपाल (M.P.)

Digitally signed by VIKAS
SAHU
Date: 2018.06.28 14:25:59
IST



ATTESTED

Sudha Suresh
Principal
Dr. Sudha Suresh Silar
Govt. College, Rau (M.P.)

RESCO Power Purchase Agreement

POWER PURCHASE AGREEMENT (PPA)

FOR

PROCUREMENT OF 1.5 kWp SOLAR POWER ON LONG TERM BASIS

(Under RESCO Model)

Between

M/s Azure Power Rooftop Five Pvt. Ltd.
(Power Producer)

And

Govt. Arts & Commerce College, P.S. [Insert Name of Procuree]
(Procuree)

September 2018

Dr. Sudha Suresh Silawai
Principal
Govt. College, Rau (M.P.)



ATTESTED

Silawai
Principal

Dr. Sudha Suresh Silawai
Govt. College, Rau (M.P.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय राऊ

गुरुकुलपरिसर, रंगवासारोड़, इन्दौर (म.प्र.)

Phone No. : 0731-2857070, 2857066

E-Mail Add.:- principalrau@yahoo.com; hegcraind@mp.gov.in

क्र.सं. 1300/2019
प्रति,

रखनांक 14.11.2019

अपर सचिव
उच्च शिक्षा म.प्र.शासन
5 वी. मंजिल सतपुड़ा भवन, भोपाल।

विषय:- सोलर सिस्टम लगवाने बाबद्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत में लेख है कि, महाविद्यालय में सोलर सिस्टम लगवाने हेतु शासन के निर्देशानुसार Azure Power Rooftop Private LTD. व महाविद्यालय के मध्य दिनांक 28.09.2018 को MOU सर्विस प्रोवाइडर श्री विकास साहू एस.पी.ओ. न. 10541608201700028 द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे, परन्तु आज दिनांक तक इस विषय पर कोई भी कार्यवाही आगे नहीं की गई है।

अतः सोलर सिस्टम लगाने की कार्यवाही करवाने का कष्ट करें, ताकि महाविद्यालय की बिजली खपत में कमी हो सके।

संलग्न :- 1. MOU छायाप्रति


प्राचार्य
श्री सुरेश सिलावट
शासकीय महाविद्यालय, राऊ, इन्दौर

0/८